संख्याः 14412 /XVII(4)/2023-02(02)/2009-TC

प्रेषक,

हरि चन्द्र सेमवाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–1, देहरादूनः दिनांक 07 ~~जुलाई~~ अगस्त 2023

विषय–महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभागान्तर्गत राज्य सहायतित 01 जुलाई, 2017 से संचालित ''नन्दा गौरा योजना'' के संचालन के संबंध में संशोधित सामान्य दिशा–निदेश।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–3097/नन्दा गौरा यो0–5238/2021 –22 दिनांक 06.01.2022 में किये गये अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–1082/XVII(4)/2017-02/2009-TC दिनांक 15.06.2017 के द्वारा कन्याओं के प्रति समाज की धारणाओं को परिवर्तित कर लिंग, अनुपात की असमानता में कमी लाने, महिला साक्षरता में वृद्वि, बाल विवाह को समाप्त करने तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उददेश्य से महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग तथा समाज कल्याण विभाग में कन्याओं हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत कर ''नन्दा गौरा योजना'' प्रारम्भ की गई है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनदेशों/कार्यालय ज्ञाप को अवक्रमित करते हुए एतद्द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त हेतु नवीन दिशा–निर्देश निम्नवत् निर्धारित किये जाते हैंः–

1– <u>योजना का उद्देश्य–</u>

''नन्दा गौरा योजना'' का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, बाल विवाह रोकना, समाज में लैगिंग असमानता को दूर करना, सामाजिक असमानता को दूर करना, कन्या शिशु को परिवार में सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना, उन्हें उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना है।

2– <u>लाभार्थी वर्ग एवं देय लाभः</u>– इसके अन्तर्गत निम्न लाभ प्रदान किये जायेगे :–

क्र.स.	लाभार्थी वर्ग	धनराशि
1	कन्या शिशु के जन्म पर	रू0 11,000/–
2	बालिका के कक्षा 12 उत्तीर्ण कर स्नातक/डिप्लोमा में प्रवेश एवं अविवाहित होने पर	रू0 51,000/–

इस योजना का लाभ एक परिवार की 02 जीवित बालिकाओं को ही दिया जायेगा, किन्तु उक्त तालिका के क्रमांक 2 पर अंकित लाभ उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित बालिका निकेतन, नारी निकेतन, अनाथ आश्रम, उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा सहायतित अन्य गृहों में निवासरत बालिकाओं को भी कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण होने के उपरान्त स्नातक/डिप्लोमा में प्रवेश करने पर प्रदान किया जायेगा, इसके लिये परिवार की 02 जीवित बालिकाओ को ही लाभान्वित किये जाने वाले प्राविधान में छूट होगी।

3— <u>अर्हतायें—</u>

(क) कन्या शिशु के जन्म पर मिलने वाले लाभ हेतु आवश्यक अर्हताये : —

1) कन्या शिशु के माता—पिता उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी होने चाहिये।

2) कन्या शिशु के परिवार की मासिक आय रू0 6000.00 तक होनी आवश्यक है, इसके लिये मानक सीमा के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आय सम्बन्धी प्रमाण पत्र केवल तहसीलदार द्वारा जारी ही मान्य होगा अन्य कोई प्रमाण पत्र मान्य नही होगा। आय प्रमाण पत्र की वैधता 01 वर्ष तक मान्य होगी।

3) कन्या शिशु का जन्म सरकारी अस्पताल/निजी अस्पताल/ए0एन0एम0 सेन्टर तथा ग्रामीण क्षेत्र जहां अस्पताल की सुविधा उपलब्ध नही है, पर प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी द्वारा ही होना चाहिए। सरकारी अस्पताल/निजी अस्पताल अन्य प्रदेशों के भी मान्य होंगें। बालिका के जन्म के प्रमाण पत्र के साथ संस्थागत प्रसव के प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। **शहरी क्षेत्रों/ग्रामीण क्षेत्रों में जिनका प्रसव उपरोक्त संस्थाओं में नही हुआ है, के संबंध में संबंधित नगर निकाय / VPDO/ADOपंचायत द्वारा प्रदत्त जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा।**

4) माता एवं पिता का पैन कार्ड (PAN CARD) एवं आधार कार्ड (ADHAAR CARD) की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि पैन कार्ड आवेदन के समय उपलब्ध नहीं है तो पैन कार्ड (PAN CARD)जारी करने हेतु किये गये आवेदन के क्रम में जारी रसीद/acknowledgement प्रस्तुत किये जा सकते है, जो मान्य होंगे।

5) कन्या शिशु के जन्म से पूर्व गर्भावस्था के दौरान उसकी माता का आंगनवाडी केन्द्र में पंजीकरण होना चाहिये, इस हेतु सम्बन्धित क्षेत्र की आंगनवाडी कार्यकत्री/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6) कन्या शिशु के जन्म का प्रमाण पत्र।

7) सम्बन्धित क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा

जारी दो बालिकाओं के प्राविधान के अधीन लाभान्वित होने की अर्हता पूर्ण करने का प्रमाण पत्र।

(ख) कक्षा 12 उत्तीर्ण कर स्नातक/डिप्लोमा में प्रवेश करने तथा अविवाहित रहने पर मिलने वाले लाभ हेतु आवश्यक अर्हतायें (उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित बालिका निकेतन, नारी निकेतन, अनाथ आश्रम, उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा सहायतित अन्य गृहों में पलने वाली बालिकाओं को छोड़कर):–

1) बालिका के माता–पिता उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी होने चाहिये।

2) बालिका के परिवार की मासिक आय रू0 6000.00 तक होनी आवश्यक है, इसके लिये मानक सीमा के अन्तर्गत सक्षम प्रधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आय सम्बन्धी प्रमाण पत्र केवल तहसीलदार द्वारा जारी ही मान्य होगा अन्य कोई प्रमाण पत्र मान्य नही होगा। आय प्रमाण पत्र की वैधता 01 वर्ष तक मान्य होगी।

3) बालिका का नाम राशन कार्ड में अंकित होना आवश्यक होगा। उक्त के साथ परिवार रजिस्ट्रर की कॉपी माता/पिता का पैन कार्ड, बैंक डिटेल, अभ्यर्थी द्वारा यह घोषणा की जाएगी कि यदि मेरे द्वारा कोई गलत सूचना आवेदन पत्र में अंकित की जाती है, तो मेरे विरूद्ध विभाग द्वारा विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

4) बालिका का पैन कार्ड (PAN CARD) एवं आधार कार्ड (ADHAAR CARD) की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि पैन कार्ड आवेदन के समय उपलब्ध नहीं है तो पैन कार्ड (PAN CARD)जारी करने हेतु किये गये आवेदन के क्रम में जारी रसीद/Acknowledgement प्रस्तुत किये जा सकते है, जो मान्य होंगे।

5) बालिका को उत्तराखण्ड/अन्य राज्यों के केन्द्रीय/राजकीय विद्यालयों एवं निजी विद्यालयों (निजी विद्यालयों में आर0टी0ई0 (R.T.E) के अंतर्गत पंजीकृत) में राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सी0बी0एस0ई0, आई0सी0एस0ई0सी0 बोर्ड, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान, नई दिल्ली (NIOS) में कक्षा 12वी उत्तीर्ण होने के साथ ही राजकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से स्नातक अथवा राजकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में कम से कम 01 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेना आवश्यक है। इसके लिये सम्बन्धित संस्थान में प्रवेश होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ग) उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित बालिका निकेतन, नारी निकेतन, अनाथ आश्रम, उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा सहायतित अन्य गृहों में निवासरत कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण कर स्नातक/डिप्लोमा में प्रवेश करने तथा अविवाहित रहने पर बालिकाओं

को मिलने वाले लाभ हेतु आवश्यक अर्हतायेः—

1) बालिका को उत्तराखण्ड/अन्य राज्यों के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सी0बी0एस0ई0, आई0सी0एस0ई0सी0 बोर्ड, राष्ट्रीयमुक्त विश्वविद्यालय संस्थान, नई दिल्ली (NIOS) से कक्षा 12वी उत्तीर्ण होने के साथ ही राजकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से स्नातक अथवा राजकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में कम से कम 01 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेना आवश्यक है। इसके लिये सम्बन्धित संस्थान में प्रवेश होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2) बालिका निकेतन, नारी निकेतन, अनाथ आश्रम, उत्तराखण्ड राज्य द्वारा सहायतित अन्य गृहों में रहने वाली बालिकाओं को कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण कर स्नातक/डिप्लोमा में प्रवेश करने तथा अविवाहित रहने का प्रमाण पत्र संबंधित संस्था की अध्यक्षिका अथवा संस्था संचालक द्वारा दिया जाना अनिवार्य होगा।

3) बालिका का आधार कार्ड (ADHAAR CARD) की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4— <u>चयन समिति</u> : नन्दा गौरा योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के क्रम में पात्र लाभार्थियों के चयन हेतु निम्नानुसार चयन समिति का गठन प्रस्तावित है :—

01—मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष
02—जिला कार्यक्रम अधिकारी	सदस्य—सचिव
03—जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी /सहायक कोषाधिकारी (जैसे भी स्थिति हो)	सदस्य
04—जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)	सदस्य
05—मुख्य चिकित्साधिकारी (या उनके द्वारा नामित अपर/उप मुख्य चिकित्साधिकारी)	सदस्य
06—सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी	सदस्य

5— <u>आवेदन करने की प्रकियाः—</u> इस योजना में जन्म के समय प्राप्त होने वाले लाभ के लिए बालिका के माता पिता को बालिका के जन्म के 06 महीने के अन्दर तथा 12 वीं उत्तीर्ण करने व स्नातक/डिप्लोमा में प्रवेश करने वाले लाभार्थी को प्रत्येक वर्ष के 30 नवम्बर तक निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्र सहित सम्बन्धित विकास खण्ड के बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस योजना के आवेदन पत्र समस्त आंगनवाडी केन्द्रों/मिनी केन्द्रों तथा समस्त बाल विकास परियोजना कार्यालयों में निःशुल्क उपलब्ध होगें। आवेदन जमा करने वाले लाभार्थी को

सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय द्वारा प्राप्ति रसीद अवश्य दी जायेगी। बाल विकास परियोजना कार्यालय में नन्दा गौरा योजना की अलग से पंजिका बनायी जायेगी, जिसमें समस्त प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का तिथि अनुसार क्रमवार अंकन किया जायेगा। पंजिका की क्रम संख्या का अंकन लाभार्थी को दी जाने वाली रसीद में भी अंकित करना होगा। प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों का सत्यापन बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा इस आशय का प्रमाण पत्र आवेदन पत्रों के साथ गठित चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। बजट की प्रत्याशा में **"पहले आओ पहले पाओ"** के अन्तर्गत लाभार्थियों को लाभ दिया जायेगा।

इस योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन की प्रकिया भी निर्धारित की जा रही है इसके लिये निदेशक, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, उत्तराखण्ड द्वारा अलग से आवेदन करने की प्रकिया निर्धारित की जायेगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रकिया प्रारम्भ होने पर ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया स्वतः निरस्त हो जायेगी।

नोटः— आवेदन का प्रारूप पृथक से निर्गत किया जायेगा।

6— <u>लाभ दिये जाने की प्रकिया</u> :— मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा स्वीकृत किये गये आवेदन पत्रो का विवरण निर्धारित प्रारूप पर एक्सल शीट निदेशालय को उपलब्ध करवाया जायेगा। निदेशालय द्वारा सम्बन्धित लाभार्थी के बैंक एकाउन्ट में डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरित की जायेगी। धनराशि हस्तान्तरण का विवरण समस्त जनपदों को भी उपलब्ध करवाया जायेगा।

7— <u>अन्य प्राविधान</u> :—

(क) शासनादेश जारी होने की तिथि से योजना का लाभ अनुमन्य होगा। किन्तु जारी होने की तिथि से 6 माह पूर्व जन्मी बालिकायें यदि पूर्व प्रचलित शासनादेश के अधीन लाभ प्राप्त करने से वंचित रह गयी हैं अथवा आवेदन करने से वंचित रह गयी हैं वह बालिकायें भी इस शासनादेश के अधीन आवेदन/लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगी।

(ख) बालिका के जन्म पर मिलने वाला लाभ राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक में बालिका एवं माता के संयुक्त खाते अथवा माता के खाते (माता के जीवित न रहने की स्थिति में पिता के खाते एवं माता पिता दोनो के जीवित न रहने की स्थिति में बालिका के संरक्षक के खाते) में ही देय होगा। यह खाता आधार नम्बर से लिंक होना अनिवार्य होगा। कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण (अविवाहित) बालिका/लाभार्थी का स्वंय का खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य होगा।उक्त लाभार्थियों को अपने आवेदन के साथ बैंक पास बुक की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी अनिवार्य होगी।

(ग) जन्म के समय वाली लाभार्थियों को 11,000/—की धनराशि, बालिका के

जन्म लेने के 06 माह के अन्तर्गत आवेदन करने के उपरान्त बालिका एवं माता के संयुक्त खाते अथवा माता के खाते (माता के जीवित न रहने की स्थिति में पिता के खाते एवं माता पिता दोनो के जीवित न रहने की स्थिति में बालिका के संरक्षक के खाते) में ई–पेमेन्ट के द्वारा भेजी जायेगी।

(घ) कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण वाली श्रेणी की लाभार्थियों को 51,000/– की धनराशि, बालिका/लाभार्थी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डी0बी0टी0) के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी।

(ड.) किसी वर्ष में निर्धारित समयावधि तक प्राप्त समस्त आवदनो को उसी वर्ष में चयन समिति द्वारा स्वीकृत करा लिया जाये तथा यह प्रयास किया जाये कि उसी वर्ष पात्र लाभार्थियो को धनराशि प्राप्त हो सके, यदि किसी कारणवश जैसे बजट का अभाव आदि से उस वर्ष लाभार्थी को लाभ प्राप्त नहीं होता है तो सम्बन्धित लाभार्थी आगामी वर्ष में प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित किये जायेंगे, **तथापि** यह प्रयास किया जाये कि एक वर्ष के लाभार्थी अगले वर्ष अग्रसारित न हो।

8– <u>अभिलेखीकरण :</u>

ऑफलाइन मोड पर किये गये आवेदनो हेतु प्रत्येक परियोजना स्तर पर एक पंजिका बनाई जायेगी जिसमें विभिन्न श्रेणी की लाभार्थी हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को अंकन किया जायेगा। आवेदन जमा करने वाले अभ्यर्थी या उनके अभिभावक आदि को प्राप्ति रसीद अवश्य दी जायेगी जिनमें आवेदन पंजिका में दर्ज क्रमांक का विवरण अवश्य अंकित किया जायेगा। योजनान्तर्गत लाभान्वित किये जा चुके लाभार्थियों का विवरण भी संरक्षित रखा जायेगा। जिन लाभार्थियों को किसी तकनीकी कारण धनराशि खाते में नहीं पहुंच पाई है, उसका तुरन्त निराकरण करवाया जायेगा। ऑनलाइन किये जाने वाले आवेदन पत्रों के रख रखाव हेतु निदेशक, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा अलग से निर्देश दिये जायेंगे।

तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए उपर्युक्त उल्लिखित दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

Signed by Hari Chandra Semwal
Date: 04-08-2023 19:59:12

(हरि चन्द्र सेमवाल)
सचिव।

<u>संख्या–144121 (1)/XVII/2023-2(02)/2009 TC तद्दिनांकित</u>

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्ययक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 विभागीय मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव, सचिव/अपर सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. उप सचिव/अनु सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
12. मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
13. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
15. गार्ड फाईल।

(हरि चन्द्र सेमवाल)
सचिव।